मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल

2103

क्रमांक / 2830 / 2018 / 50–2 / (ए.एन.) / ..... **भोपाल, दिनांक 12/09/2018**

प्रति,

1 समस्त संभागायुक्त, मध्यप्रदेश.
2 समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश
3 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत (म.प्र.)
4 समस्त संभागीय संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास (म.प्र.)
5 समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास (म.प्र.)
6 समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व–मध्यप्रदेश.
7 समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत (म.प्र.)
8 समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी

विषयः–प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में संचालित आंगनवाड़ी / उप आंगनवाड़ी केन्द्रों में 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार के प्रदाय के संबंध में निर्देश।

संदर्भः– 1. मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश क्र. / एफ / 3–2 / 09 / 50–2, पी.एफ , दिनांक 29.8.2009

2. मध्यप्रदेश शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग का आदेश क्र. / एफ / 4–5 / 14, दिनांक 24.02.2014

—0—

प्रदेश में शहरी क्षेत्रों में संचालित समस्त आंगनवाड़ी केन्द्रों / उप आंगनवाडी केन्द्र के 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को पूरक पोषण आहार प्रदाय करने के संबंध में नवीन निर्देश निम्नानुसार जारी किए जाते हैं। माह सितम्बर 2018 से आगामी आदेश तक इन नवीन निर्देशों के अनुरूप पूरक पोषण आहार प्रदाय की व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी।

1. <u>पूरक पोषण आहार व्यवस्था :–</u>

1.1 महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत शहरी परियोजनाओं / शहरी क्षेत्रों में संचालित आंगनवाड़ी / उप आंगनवाडी केन्द्रों पर ताजे पके हुए पूरक पोषण आहार की व्यवस्था शहरी परियोजनाओं में पूर्ववत् स्थानीय संस्थाओं (स्व–सहायता समूह / महिला मंडल / स्व–सहायता समूह के परिसंघ) के माध्यम से लागू रहेगी। जिन शहरों में मध्यान्ह भोजन योजना के समान एकीकृत रसोई प्रणाली संचालित है, वहां कलेक्टर के अनुमोदन पर एकीकृत रसोई के माध्यम से भी आंगनवाड़ी / उप आंगनवाडी केन्द्रों पर ताजा पका हुआ पूरक पोषण आहार प्रदाय करने का विकल्प यथावत लागू रहेगा।

1.2 <u>स्व–सहायता समूह / संस्था के चयन की प्रक्रिया एवं अधिकारः–</u>

1.2.1 महिला स्व–सहायता समूह / महिला मंडल / महिला स्व–सहायता समूहों के परिसंघ को उनकी कार्यक्षमता, आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन के आधार को दृष्टिगत रखते हुये आंगनवाड़ी / उप आंगनवाडी केन्द्रों पर पूरक पोषण आहार प्रदाय हेतु कार्य दिया जाये। पूरक पोषण आहार वितरण में स्थानीय संस्थाओं को ही प्रदाय कार्य दिये जाये, किसी भी स्थिति में जिले के बाहर की संस्था को प्रदाय आदेश नहीं दिया जावें। शहरी

परियोजनाओं/शहरी क्षेत्रों अंतर्गत संचालित आंगनवाडी केन्द्रों पर पूरक पोषण आहार व्यवस्था हेतु कम–से–कम 50 आंगनवाडी केन्द्रों पर एक स्थानीय संस्था को पूरक पोषण आहार कार्य दिया जा सकता है।

1.2.2 स्व–सहायता समूह/संस्था के चयन हेतु समितिः–

- अध्यक्ष–कलेक्टर अथवा उनके द्वारा नामांकित प्रतिनिधि,
- जिला कार्यक्रम अधिकारी,
- कोषालय अधिकारी,
- संबंधित परियोजना के परियोजना अधिकारी

1.2.3 स्व–सहायता समूह/संस्था के चयन के मापदंड :–

- स्व–सहायता समूह/संस्था स्थानीय होना चाहिये।
- स्व–सहायता समूह/संस्था क्रियाशील होना चाहिये।
- स्व–सहायता समूह/संस्था की आर्थिक स्थिति ऐसी होनी चाहिये, जो कम से कम एक माह का पूरक पोषण आहार प्रदाय करने में सक्षम हो।
- स्व–सहायता समूह/संस्था पूरक पोषण आहार की गुणवत्ता इत्यादि के बारे में जानकारी रखते हों।
- स्व–सहायता समूह/संस्था के पास साफ सुथरा, पर्याप्त स्थान वाला, किचिन शेड उपलब्ध हों। जिसमें पूरक पोषण आहार की निर्धारित रैसिपीज तैयार करने के लिये आवश्यक आधुनिक सुविधाएं, उपकरण/सामग्री की व्यवस्था हों।

1.3 **अनुबंध एवं प्रदाय आदेश :–**

समिति के द्वारा चयनित स्थानीय संस्थाओं की सूची प्राप्त होने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी/परियोजना अधिकारी, महिला एवं बाल विकास एवं समूह/संस्था के मध्य अनुबंध किया जाकर अनुबंध की शर्तों के अनुक्रम में प्रदाय आदेश जारी किया जायेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारी को पूरक पोषण आहार प्रदाय के संबंध में बाल विकास परियोजना अधिकारियों द्वारा हितग्राहियों की संख्या में परिवर्तन की सूचना प्राप्त होने पर, पूरक पोषण आहार प्रदाय आदेश में तदानुसार संशोधन किया जा सकेगा।

2. सामग्री की दरों का निर्धारण :–

जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, जिला कोषालय अधिकारी एवं जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास शामिल हैं, के द्वारा आंगनवाड़ी/उप आंगनवाडी केन्द्रों में प्रदाय की जाने वाली सामग्री की दर का निर्धारण कॉस्टप्लस फॉमूले के आधार पर किया जायेगा। निर्धारित की जाने वाली दर में पूरक पोषण आहार प्रदाय पर होने वाले समस्त व्यय शामिल होंगे। उपरोक्त सभी मदों को शामिल करने के पश्चात् पूरक पोषण आहार हेतु निर्धारित दर की सीमा प्रति हितग्राही, प्रतिदिन निर्धारित मापदंडों से अधिक नहीं होना चाहिये।

3. अभिलेख का संधारण :–

- बी,पी,एल,गेहूँ/चावल/कच्ची सामग्री के उठाव व वितरण का स्टॉक रजिस्टर।
- भोजन पकाने हेतु उपयोग किये गये खाद्यान्न मिश्रण सामग्री तथा ईंधन सामग्री का दिनांक वार वितरण संधारण हेतु पत्रक।
- कैश बुक/बिल वाउचर।
- दैनिक पावती कार्ड।
- बर्तन इत्यादि के लिये स्टॉक रजिस्टर का संधारण।

4. पूरक पोषण आहार हेतु निर्धारित दर एवं मापदंड :–

समस्त आंगनवाड़ी/उप आंगनवाड़ी केन्द्रों में 03 वर्ष से 06 वर्ष के बच्चों को पूरक पोषण आहार में सुबह नाश्ता तथा दोपहर में भोजन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त गंभीर कुपोषित बच्चों (अतिकम वजन के) को थर्ड मील भी प्रदाय किया जाएगा। पूरक पोषण आहार की व्यवस्था निम्नानुसार होगीः–

4.1 राज्य शासन के पत्र क्रमांक एफ 3–3/2018/50–2 भोपाल, दिनांक 28.03.2018 के द्वारा पूरक पोषण आहार की दर में की गई वृद्धि तथा पूरक पोषण आहार के लिए मानक निम्नानुसार होंगें :–

हितग्राही	प्रचलित दर (नाश्ते एवं भोजन हेतु)	पुनरीक्षित दर (नाश्ते एवं भोजन हेतु)	उपलब्ध कराई जाने वाली प्रोटीन मात्रा	उपलब्ध कराई जाने वाली कैलोरी की मात्रा
बच्चे (06 माह से 06 वर्ष तक)	रु.6.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	रु.8.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	12–15 ग्राम	500 कैलोरी
गंभीर कुपोषित बच्चे	रु.9.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	रु.12.00 प्रति बच्चा प्रतिदिन	20–25 ग्राम	800 कैलोरी
गर्भवती/धात्री माताएं	रु.7.00 प्रति महिला प्रतिदिन	रु.9.50 प्रति महिला प्रतिदिन	18–20 ग्राम	600 कैलोरी

4.2 पूरक पोषण आहार के माध्यम से बच्चों को घर में प्राप्त होने वाले आहार के अतिरिक्त उपरोक्तानुसार कैलोरी/प्रोटीन की मात्रा प्रतिदिन उपलब्ध कराई जाए।

a. चयनित समूह/संस्था आंगनवाड़ी/उप आंगनवाड़ी केन्द्र पर तीन समय भोजन यथा सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, थर्ड मील देने के लिए उत्तरदायी होंगें। इसी व्यवस्था के अन्तर्गत प्रत्येक मंगलवार को 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को नाश्ता एवं भोजन तथा गर्भवती/धात्री माताओं को दोपहर का भोजन चयनित संस्था के माध्यम से दिया जाए।

b. नाश्ते में यथासंभव ताजा गरम आहार ही दिया जाएगा, यदि किसी कारण से गरम आहार देने में कठिनाई आती है तब कलेक्टर के अनुमोदन से रेडी–टू–ईट नाश्ते एवं भोजन के लिए अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की जा सकेगी, जो प्रथमतः उस आंगनवाड़ी केन्द्र के लिए नियत चयनित समूह/संस्था के माध्यम से ही लागू की जा सकेगी, यह चयनित समूह/संस्था यदि निर्देशानुसार आहार प्रदाय करने में असफल रहती है तब कलेक्टर की अनुमति से चयनित समूह/संस्था में परिवर्तन किया जा सकेगा।

c. प्रत्येक आंगनवाड़ी/उप आंगनवाडी केन्द्र पर सामान्यतः सुबह का नाश्ता एवं दोपहर के भोजन का सांकेतिक मेनू **(परिशिष्ट–01 व विस्तृत परिशिष्ट–02)** अनुसार एवं उल्लेखित

रैसिपी अनुसार ही होगा। आंगनवाड़ी/उप आंगनवाडी केन्द्रों में प्रदत्त किये जाने वाला पूरक पोषण आहार रुचिकर व स्वादिष्ट एवं सुलभता से वितरण योग्य हो, इस हेतु मेनू में विविधता रखना होगी, जिसका निर्धारण स्थानीय स्तर पर कलेक्टर के अनुमोदन से संलग्न मेनू अनुरूप सुझाई गई रैसिपी में से किया जा सकेगा।

- सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, थर्ड मील के लिये **परिशिष्ट–02** अनुसार उपलब्ध कराये गये विकल्प पूर्णतः सांकेतिक हैं। इस संबंध में खाद्य सामग्री की स्थानीय उपलब्धता एवं रोटी के स्थान पर चावल आदि के उपयोग के संबंध में जिला कलेक्टर द्वारा निर्णय लिया जाकर पूरक पोषण आहार प्रदाय हेतु व्यवस्था की जा सकेगी।
- यह ध्यान रखा जाए कि दोपहर के भोजन के मेनु अनुसार तैयार रैसिपीज में छोटे बच्चों को दिए जाने वाले भोजन के अनुरूप मिर्च मसाले की मात्रा इन बच्चों की आयु के अनुसार ही उपयोग की जाए। भोजन की गुणवत्ता, स्वच्छता एवं सुपाच्यता का विशेष ध्यान रखा जाए।

d. गंभीर कुपोषित बच्चे (अतिकम वजन के बच्चों) के लिए थर्ड मील की व्यवस्था हेतु निम्न बिन्दुओं पर विशेष ध्यान रखा जाएः–

- 06 माह से 06 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों (अतिकम वजन के बच्चों) को 20–25 ग्राम प्रोटीन तथा 800 कैलोरीज प्रतिदिन प्रति हितग्राही दी जाना निर्धारित है। ऐसे बच्चों को नाश्ते व भोजन की प्रचलित व्यवस्था अंतर्गत प्राप्त होने वाले प्रोटीन एवं कैलोरीज़ की कमी की प्रतिपूर्ति थर्ड मील द्वारा की जावेगी।
- 06 माह से 03 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों (अतिकम वजन के बच्चों) को आंगनवाड़ी/उप आंगनवाडी केन्द्रों पर प्रतिदिन उपस्थित रहकर पूरक पोषण आहार प्राप्त करने की अनिवार्यता नही है, किन्तु बच्चों के पोषण प्रबंधन हेतु यदि इस आयु वर्ग के बच्चे आंगनवाड़ी/उप आंगनवाडी केन्द्रों पर सुलभता से उपस्थित रह सकते हैं, तो इन बच्चों को आंगनवाड़ी/उप आंगनवाडी केन्द्रों पर आंगनवाडी कार्यकर्त्ता/सहायिका/मिनी आंगनवाडी कार्यकर्त्ता की निगरानी में थर्ड मील (पूरक पोषण आहार) प्रतिदिन खिलाया जाए। यह व्यवस्था बच्चे के श्रेणी सुधार होने तक करने के प्रयास किये जाएं। जहां यह संभव नहीं हो पाता है, वहां 06 माह से 03 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों (अतिकम वजन के बच्चों) को टिफिन के रूप में भी थर्ड मील दिया जा सकता है।
- 3 वर्ष से 6 वर्ष के बच्चों को प्रतिदिन थर्ड मील अपरान्ह 3.30 से 4.00 बजे के मध्य दिया जावे। यह थर्ड मील बच्चों को टिफिन के रूप में भी दिया जा सकता है।
- 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों को अतिरिक्त आहार के रूप में एक दिन नाश्ते के मेनू अनुसार एवं एक दिन दोपहर के भोजन के मेनू अनुसार थर्ड मील उपलब्ध कराया जाए।
- इसके अतिरिक्त जिला कलेक्टर स्थानीय परिस्थिति एवं हितग्राहियों की रुचि अनुसार व हितग्राहियों के आयु वर्ग के अनुरूप रेडी टू ईट थर्ड मील के रूप में, परिशिष्ट–02 पर संलग्न रेसिपीज़ के विकल्प में से भी थर्ड मील प्रदाय कर सकते हैं।

e. प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाले मंगल दिवसों के दौरान टेकहोम राशन लेने आने वाली गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं को दोपहर का भोजन एवं 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों को सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन, आंगनवाडी केन्द्रों पर पूरक पोषण आहार प्रदाय करने वाले चयनित स्व–सहायता समूहों/संस्था के माध्यम से ही प्रदाय किया जाए। इस दिन आंगनवाडी केन्द्र पर प्रदाय होने वाले नाश्ते एवं भोजन में 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों के अनुकूल एवं सुपाच्य खाद्यान्न का प्रदाय सुनिश्चित किया जाए।

f. यदि बच्चों के लिए भोजन ले जाने वाला बर्तन उपलब्ध नहीं है, तो कलेक्टर के माध्यम से इस प्रकार के बर्तन की व्यवस्था स्थानीय स्तर पर सुनिश्चित की जावे। यह बर्तन उन्हीं आंगनवाड़ी/उप आंगनवाडी केन्द्रों के लिए होंगे, जिनके किचन उनके परिसर से अधिक दूरी पर है। इस बर्तन पर **"आंगनवाड़ी केन्द्र भोजन"** बड़े अक्षरों में साफ तरीके से लिखा जाए।

g. नाश्ता, दोपहर के भोजन के अवयव तथा मात्रा का विवरण **परिशिष्ट–02** के अनुरूप होगा।

h. स्व–सहायता समूह द्वारा दिए जाने वाले नाश्ता/भोजन/थर्ड मील की व्यवस्था संबंधी प्रावधान निम्नानुसार होंगे:–

क्र.	लक्ष्य समूह	भोजन	समय	दर	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6
1.	3 से 6 वर्ष तक के आंगनवाड़ी में दर्ज बच्चे	नाश्ता	प्रातः 9:30 से 10:30 के मध्य	रु.3/– प्रति बच्चा प्रति दिवस	मेनू परिशिष्ट –02 अनुसार **सप्ताह में 6 दिन।**
		भोजन	अपरान्ह 12.30 से 1:30 के	रु.5/– प्रति बच्चा प्रति दिवस	
2.	6 माह से 03 वर्ष के बच्चे	नाश्ता	प्रातः 9:30 से 10:30 के मध्य	रु.3/– प्रति बच्चा प्रति दिवस	मेनू परिशिष्ट–02 अनुसार सप्ताह में एक दिन **मंगलवार को।**
		भोजन	अपरान्ह 12.30 से 1:30 के	रु.5/– प्रति बच्चा प्रति दिवस	
3.	6 माह से 6 वर्ष के आंगनवाड़ी में दर्ज अति कम वजन के बच्चे	थर्ड मील	अपरान्ह 12.30 से 1.30 के मध्य	रु.4/– प्रति बच्चा प्रति दिवस	कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के अनुमोदन से एवं संलग्न मेनू परिशिष्ट –02 में दिए गए विकल्प में से दिया जाएं।
4.	गर्भवती/धात्री माता,	भोजन	अपरान्ह 12.30 से 1:30 के मध्य	रु.9.50/–प्रति महिला प्रति दिवस	मेनू परिशिष्ट–02 अनुसार सप्ताह में एक दिन **मंगलवार को।**

उपरोक्तानुसार व्यवस्था अंतर्गत प्रतिदिन परिशिष्ट–02 अनुसार आंगनवाड़ी/उप आंगनवाड़ी केन्द्र पर तीन समय यथा सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, थर्ड मील दिया जाये तथा प्रत्येक मंगलवार को 6 माह से 3 वर्ष के बच्चों को नाश्ता एवं भोजन तथा गर्भवती/धात्री माताओं को दोपहर का भोजन दिया जाये। इस प्रकार प्रदाय होने वाले नाश्ता, भोजन एवं थर्ड मील के वितरण में निम्न निर्देशों का पालन सुनिश्चित किया जावें :–

- ✓ 03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु नाश्ता एवं भोजन मिलाकर न्युनतम 12 से 15 प्रोटीन एवं 500 कैलोरी प्रतिदिन प्रदाय की जावे।
- ✓ 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों को **प्रत्येक मंगलवार** को नाश्ता एवं भोजन मिलाकर 12 से 15 प्रोटीन एवं 500 कैलोरी प्रदाय की जावे।
- ✓ महिलाओं को **प्रत्येक मंगलवार** को केवल भोजन में न्यूनतम 18 से 20 प्रोटीन एवं 600 कैलोरी प्रदाय की जावे।
- ✓ शहरी क्षेत्र में यथासंभव माह में 02 बार खीर–पुडी प्रदाय की जावे एवं माह के शेष मंगलवार को भोजन के रूप में हलीमा अथवा साप्ताहिक रैसिपीज में से कोई एक रैसिपी स्थानीय सुरूचि के दृष्टिगत कलेक्टर के अनुमोदन से प्रदाय की जावे।
- ✓ 06 माह से 06 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों (अतिकम वजन) को सभी निर्धारित मील मिलाकर 20–25 ग्राम प्रोटीन तथा 800 कैलोरी प्रतिदिन प्रति हितग्राही प्रदाय किया जावे।
- ✓ नाश्ता, भोजन एवं थर्ड मील के लिये चयनित रैसिपीज में शासन द्वारा बी.पी.एल. दर पर प्रदायित गेहूँ एवं चावल का उपयोग किया जावें।

5. पूरक पोषण आहार निर्माण एवं वितरण की व्यवस्था :–

5.1 चयनित समूह/संस्था को पूरक पोषण आहार बनाने के लिए गेहूँ एवं चावल नजदीकी उस उचित मूल्य की दुकान/नागरिक आपूर्ति निगम के गोदाम से उपलब्ध कराया जाएगा, जो एम.डी.एम. के पोर्टल पर संबंधित आंगनवाडी केन्द्र एवं चयनित संस्था से लिंक की गई हो। चयनित संस्था को पूर्ववत् खाद्यान्न उचित मूल्य दुकान से निःशुल्क उपलब्ध कराया जावेगा।

5.2 चयनित समूह/संस्था मेनू अनुसार भोजन पकाने के लिये कच्ची खाद्य सामग्री, ईधन आदि का क्रय स्वतः करेंगे। चयनित संस्था का यह दायित्व होगा कि वे स्वच्छ, शुद्ध गुणवत्तापूर्ण सामग्री का क्रय कर इसका सुरक्षित भंडारण करें।

5.3 भोजन पकाने के लिए निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान रखा जाए:–

- मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड के प्रदाय केन्द्रों के माध्यम से उपलब्ध कराये जाने की स्थिति में, डबल फोर्टीफाईड (आयोडीन+आयरन युक्त) नमक एवं फोर्टीफाइड खाद्य तेल का ही उपयोग किया जाएं।
- एगमार्क वाले सीलबंद पैकेट वाले मसालों का ही इस्तेमाल किया जाएं।
- दालों व दलहनों की शुद्धता व गुणवत्ता जॉचने के उपरान्त ही क्रय किया जाएं।
- ताजी एवं हरी सब्जियों का ही उपयोग किया जाएं।
- रैसिपी पकाने के लिए स्वच्छ पेयजल का उपयोग किया जाएं।
- रैसिपी पकाने वाले स्थान एवं बर्तनों पर साफ–सफाई का विशेष ध्यान रखा जाएं।
- खाने में मिर्च, मसाले का प्रयोग कम आयु के बच्चों (03–06 वर्ष) के अनुरूप रखा जाएं।
- मंगलवार के दिन एवं अन्य दिन अतिकम वजन के 06 माह से 03 वर्ष के बच्चों के लिए उपयुक्त सुपाच्य भोजन बनाया जाए।
- भोजन स्वादिष्ट एवं पूरी तरह से पका हुआ हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।
- दाल एवं सब्जी की मात्रा में किसी भी प्रकार का समझौता न किया जाए।

- रैसिपी के स्वाद अनुकूल मुनगे की फली एवं पत्तों का यथासंभव अधिक से अधिक उपयोग करने के प्रयास किये जाएं।

5.4 चयनित समूह/संस्था द्वारा तीनों पूरक पोषण आहार आंगनवाड़ी/उप आंगनवाडी केन्द्रों स्थल पर प्रदाय किये जाएंगे। चयनित समूह/संस्था द्वारा पूरक पोषण आहार का प्रदाय केवल स्टील के बर्तनों में ही किया जायें, किसी भी स्थिति में प्लास्टिक के बर्तनों में पूरक पोषण आहार का प्रदाय/भंडारण नही किया जावें। प्रदाय करते समय उन्हें प्रचलित व्यवस्थानुसार भोजन पत्रक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को देना होगा, जिस पर कार्यकर्ता समय, मात्रा एवं भोजन घटक अंकित करेंगी।

5.5 प्रत्येक चयनित समूह/संस्था को प्रति माह एक भोजन पत्रक दिया जाएगा जिसमें आंगनवाडी कार्यकर्ता प्रत्येक मील को प्राप्त करते समय उसकी प्राप्ति का समय, मात्रा एवम् गुणवत्ता का उल्लेख कर हस्ताक्षर करेगी। माह के अंत में इस भोजन पत्रक को स्व–सहायता समूह बिल के साथ परियोजना अधिकारी को जमा करेंगी। भोजन पत्रक का प्रारूप **परिशिष्ट–03** में संलग्न है।

5.6 आंगनवाडी केन्द्र पर पूरक पोषण आहार की प्राप्ति आंगनवाडी कार्यकर्त्ता/सहायिका द्वारा केवल स्टील के बर्तनों में ही की जावें, किसी भी स्थिति में प्लास्टिक के बर्तनों में पूरक पोषण आहार की प्राप्ति/भंडारण नही किया जावें। हितग्राहियों को तीनों पूरक पोषण आहार वितरण की पूर्ण जिम्मेदारी आंगनवाडी कार्यकर्ता तथा सहायिका की होगी। जहां 06 माह से 03 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चे (अतिकम वजन के बच्चे) आंगनवाड़ी केन्द्र में नहीं आ रहे हैं, वहां उन्हें टिफिन के माध्यम से थर्डमील आंगनवाड़ी सहायिका द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। इसमें यथासंभव समुदाय, पोषण मित्र तथा किशोरी बालिकाओं का सहयोग भी लिया जाएं।

5.7 परियोजना अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रतिमाह चयनित समूह/संस्था को गत माह के हितग्राहियों की औसत दैनिक उपस्थिति की संख्या लिखित में अवगत कराई जायेगी, तदानुसार चयनित समूह/संस्था द्वारा आवश्यक मात्रा में ताजा पका हुआ भोजन तैयार किया जावेगा।

6 खाद्यान्न का आबंटन, उठाव तथा परिवहन :–

6.1 भारत सरकार द्वारा एकजाई रूप से निर्धारित दर पर खाद्यान्न राज्य सरकार को जारी किया जाता है। भारत सरकार से प्राप्त खाद्यान्न के आधार पर संचालनालय महिला एवम् बाल विकास द्वारा विभागीय एम.आई.एस. में आंगनवाड़ी केन्द्रवार दर्ज उपस्थिति के आधार पर (अन्यथा स्थिति में औसतन) आंगनवाड़ी केन्द्रवार एवं चयनित समूह/संस्था वार खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का मासिक पुर्नआबंटन एनआईसी के माध्यम से एमडीएम पोर्टल पर खाद्यान्न (गेहूं/चावल) के पुर्नआबंटन हेतु बनाये गये एम.आई.एस.से ऑनलाईन जारी किया जाएगा, जिसकी सूचना सर्व–संबंधित अधिकारियों को एवं मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉपोरेशन को भी प्रदाय की जाएगी ।

- प्रत्येक आबंटित माह के लिये उपरोक्तानुसार खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का मासिक आबंटन विगत माह की 10 तारीख तक एनआईसी से ऑनलाईन जारी किया जाना होगा। इस हेतु संचालनालय, महिला एवं बाल विकास से नियत दिनांक के पूर्व वांछित माह के लिये खाद्यान्न (गेहूं/चावल) जारी करने हेतु आंगनवाडी

केन्द्रवार/चयनित समूह/संस्थावार आवश्यक जानकारी/डाटा एनआईसी को उपलब्ध कराया जाएगा। महिला एवं बाल विकास से प्राप्त जानकारी अनुसार एन.आई.सी. द्वारा मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉपोरेशन को वांछित माह के लिये खाद्यान्न आबंटन जारी किया जाएगा तदानुसार मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉपोरेशन वांछित माह के लिये आवश्यक खाद्यान्न की व्यवस्था विगत माह के अंतिम दिवस तक पूर्ण करना सुनिश्चित करेगा।

- उपरोक्तानुसार जारी खाद्यान्न (गेहूं/चावल) आबंटन की मात्रा अनुरूप संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी आंगनवाडी केन्द्रवार/स्व–सहायता समूहवार/संस्थावार उपलब्ध कराए गए आबंटन की समीक्षा कर सकेंगे एवं मांग के अनुपात में खाद्यान्न आबंटन कम अथवा अधिक पाए जाने पर संचालनालय, महिला एवं बाल विकास को औचित्यपरक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। किसी भी स्थिति में स्व–सहायता समूह/संस्था को खाद्यान्न का अधिक आबंटन जारी न हो, यह सुनिश्चित करना जिला कार्यक्रम अधिकारी की जवाबदेही होगी।
- उपरोक्तानुसार जारी ऑनलाईन खाद्यान्न व्यवस्था के अनुरूप वांछित माह के प्रथम दिवस से अंतिम दिवस तक आंगनवाडी केन्द्रवार/चयनित समूहवार/संस्थावार जारी खाद्यान्न संबंधित उचित मूल्य की दुकान से चयनित संस्था के उठाव हेतु उपलब्ध रहेगा।

6.2 उक्त मासिक आवंटन के प्राप्त होने के उपरान्त जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रत्येक आंगनवाड़ी केन्द्र के लिये केन्द्रवार प्राप्त खाद्यान्न (गेहूं/चावल) के उठाव हेतु उपरोक्तानुसार ऑनलाईन प्राप्त कम्प्यूट्रीकृत मासिक आवंटन संकलित सूचना संबंधित परियोजना अधिकारी एवं चयनित समूह/संस्था को दी जाएगी।

- एन.आई.सी. के माध्यम से जारी ऑनलाईन खाद्यान्न (गेहूं/चावल) आबंटन के आधार पर मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉपोरेशन द्वारा आबंटन अनुसार संबंधित उचित मूल्य दुकान हेतु वांछित खाद्यान्न (गेहूं/चावल) की मात्रा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी।
- यदि उक्त प्रक्रिया के क्रियान्वयन में कोई कठिनाई आती है, तो संबंधित जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा संचालनालय, महिला एवं बाल विकास से एवं स्थानीय स्तर पर मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन से चर्चा कर मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉपोरेशन के जिला स्तरीय गोदाम से खाद्यान्न उठाव कराये जाने के प्रयास कर कठिनाई का निराकरण किया जाए।
- एनआईसी के माध्यम से खाद्यान्न आबंटन की ऑनलाईन प्रक्रिया के प्रभावी एवं व्यवस्थित क्रियान्वयन के लिये यह आवश्यक है कि जिलों/परियोजनाओं द्वारा इस व्यवस्था के लिये एन.आई.सी.में एम.डी.एम. के पोर्टल पर तैयार किये गये सॉफ्टवेयर में त्रुटिरहित जानकारी/डाटा उपलब्ध कराया जाए। अतः चयनित समूह/संस्था की आंगनवाडी केन्द्र से एवं आंगनवाडी केन्द्र की संबंधित एसएचजी से त्रुटिरहित मैपिंग एवं प्रतिमाह महिला एवं बाल विकास के विभागीय एमआईएस में पोषण आहार के वांछित/लाभान्वित हितग्राहियों, की जानकारी अद्यतन करने का दायित्व जिला कार्यक्रम अधिकारी/परियोजना अधिकारी का होगा।

- परियोजना अधिकारी प्रतिमाह देयक के साथ–साथ यह जानकारी भी जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराऐंगे कि चयनित समूह/संस्था द्वारा माह में उपलब्ध कराए गए पूरक पोषण आहार के विभिन्न मील के अनुपात में कितना खाद्यान्न चयनित समूह/संस्था के द्वारा उपयोग किया गया एवं कितनी मात्रा संस्था के पास अवशेष रही है।

6.3 चयनित समूह/संस्था द्वारा जारी मासिक आबंटन से उठाव हेतु शेष रहे खाद्यान्न के पश्चात् अवशेष रहे खाद्यान्न का समायोजन आगामी माह की मांग से करने के उपरान्त ही एनआईसी द्वारा आगामी मासिक आवंटन पत्र जारी किया जाएगा।

6.4 भारत सरकार/राज्य सरकार से खाद्यान्न का अग्रिम आवंटन प्राप्त होने में विलम्ब की स्थिति में जिला कलेक्टर अन्य योजनाओं के स्कन्ध को पूरक पोषण आहार हेतु उपलब्ध कराएंगें, वे आवंटन प्राप्त होने पर उक्त खाद्यान्न की मात्रा का समायोजन करेंगे। इसका आशय केवल यह है कि खाद्यान्न के अभाव में पूरक पोषण आहार कार्यक्रम का क्रियान्वयन प्रभावित न हो।

6.5 किसी परिस्थितिवश उचित मूल्य की दुकानों पर पूरक पोषण आहार का स्कन्ध उपलब्ध नहीं है तो वे अन्य योजनाओं के स्कन्ध से खाद्यान्न उपलब्ध कराऐंगे ताकि खाद्यान्न के अभाव में पूरक पोषण आहार का वितरण प्रभावित न हो। खाद्य, नागरिक आपूर्ति व उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय द्वारा जारी आदेश क्र./2429/खा/सा.वि.प्र./01, दिनांक 01.04.2005 की कंडिका–02 में भी यह स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी विशेष योजना के अन्तर्गत स्कन्ध उपलब्ध नहीं है और किसी अन्य योजना के अन्तर्गत स्कंध उपलब्ध है तो उस योजना के हितग्राही को खाद्यान्न वितरित करने से इन्कार नहीं किया जाएगा।

6.6 यह भी ध्यान देने योग्य है कि चयनित समूह/संस्था को बार–बार संबंधित उचित मूल्य दुकान पर आना न पड़े इसीलिए उन्हें यह खाद्यान्न एक बार में ही प्रदाय कर दिया जाए। इससे अनावश्यक समय, श्रम एवं परिवहन का दोहराव नहीं होगा।

6.7 खाद्यान्न का परिवहन जिला स्तर पर माध्यान्ह भोजन के अनुरूप लागू व्यवस्था अनुसार किया जाएगा एवं संबंधित उचित मूल्य दुकान तक भंडारण की व्यवस्था मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन के द्वारा की जावेगी।

6.8 संबंधित उचित मूल्य की दुकान से चयनित समूह/संस्था की रसोई स्तर तक परिवहन चयनित समूह/संस्था द्वारा स्वयं किया जाएगा, जिसका परिवहन शुल्क संस्था को दिये जाने वाली राशि में सम्मिलित है, पृथक से इस हेतु कोई राशि नहीं दी जाएगी।

6.9 चयनित समूह/संस्था को उचित मूल्य की दुकान से निःशुल्क खाद्यान्न उठाव अंकित करने हेतु मासिक आवंटन पत्र की प्रति जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा भी पृथक से उपलब्ध कराई जाएगी।

7 खाद्यान्न एवं परिवहन व्यय की प्रतिपूर्ति :–

7.1 स्व–सहायता समूह/चयनित संस्था के लिए विभाग द्वारा खाद्यान्न की राशि मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाईज कॉर्पोरेशन को अग्रिम के तौर पर मासिक आवंटन पत्र के साथ दी जाएगी। आगामी माह में नीचे दी गई व्यवस्था के अनुसार इसका समायोजन किया

जाएगा। आशय यह है कि नागरिक आपूर्ति निगम के पास सदैव मासिक अग्रिम बना रहेगा।

7.2 स्व–सहायता समूह/चयनित संस्था के पूरक पोषण आहार प्रदायगी की स्थिति में प्रयोग किए गए खाद्यान्न के देयक भुगतान हेतु निम्नानुसार प्रस्तुत किये जाएंगे :–

- जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा संस्था को आबंटित राशि का पूर्ण विवरण निर्धारित पंजी में संधारित किया जावेगा, तदानुसार आवंटित खाद्यान्न की मात्रा का समायोजन मासिक रूप से अनिवार्यतः किया जावेंगा, ताकि किसी प्रकार की भौतिक/वित्तीय अनियमितता की स्थिति निर्मित न हो।
- चूँकि उचित मूल्य की दुकान से चयनित समूह/संस्था द्वारा किए गए उठाव की जानकारी तो जिला स्तर पर प्राप्त की जाती है, किन्तु उनके द्वारा उपयोग किए गए खाद्यान्न का अलग से हिसाब नहीं रखा जा रहा है। अतएव चयनित समूह/संस्था से पूरक पोषण आहार पत्रक में यह जानकारी भी ली जाएगी कि चयनित समूह/संस्था द्वारा कितना खाद्यान्न उस माह उपयोग किया गया है। इस आधार पर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा प्रत्येक चयनित समूह/संस्था को जारी खाद्यान्न की मात्रा से उपयोग की मात्रा का मिलान किया जाएगा एवं तदानुसार खाद्यान्न के समायोजन उपरांत जानकारी संचालनालय को भी उपलब्ध कराई जाएगी।

8. वित्तीय प्रावधान एवं पेनाल्टी :–

आंगनवाड़ी/उप आंगनवाडी केन्द्रों में प्रदाय की जाने वाली नाश्ते (रेडी टू ईट/ताजा गर्म) एवं भोजन (ताजा गर्म) की दर का निर्धारण "कास्टप्लस फार्मूले" के आधार पर किया जावे। निर्धारित की जाने वाली दर में नाश्ते एवं भोजन प्रदायं व्यवस्था पर होने वाले समस्त व्यय (निर्माण+कच्ची सामग्री+गेहूं/चावल+परिवहन+पारिश्रमिक+प्रबन्धकीय व्यय+लाभांश+रसोईया+ईंधन+एमएमई इत्यादि) शामिल रहेगी। उपरोक्त सभी मदों को शामिल करने के पश्चात् पूरक पोषण आहार हेतु निर्धारित की जाने वाली दर की सीमा प्रति बच्चा प्रति दिवस **(कंडिका 4.1)** में उल्लेखित तालिका में दर्शाए गए प्रावधानों से अधिक नहीं होनी चाहिए।

8.1 जिन शहरी क्षेत्रों में एकीकृत रसोई से आंगनवाड़ी/उप आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जा रहा है, उन स्थानों पर रसोईयों को पृथक से पारिश्रमिक भुगतान किए जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः शहरी क्षेत्रों के इन आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार के निर्धारित प्रति हितग्राही प्रतिदिवस राशि में से गेहूं/चावल की राशि का समायोजन करने के उपरांत शेष राशि प्रदायकर्ता चयनित संस्था के खाते में सीधे भुगतान की जावेगी।

8.2 पूरक पोषण आहार के वितरण में देरी, मात्रा एवं गुणवत्ता की कमी पाई जाने पर चयनित समूह/ संस्था को दी जाने वाली राशि में से निम्नानुसार कटौत्रे किए जाऐंगे :–

क्र.	कटोत्रे के	कटोत्रे के मापदंड
1.	**देरी**	निर्धारित समय से 01 घण्टा देरी पर 10 रू. प्रति आंगनवाड़ी/उप आंगनवाडी केन्द्र प्रति चूक (दिवस) के मान से

2.	**मात्रा**	खाद्यान्न प्रदाय करने में हुई चूक पर, अप्रदायित खाद्यान्न की मात्रा की आनुपातिक दर अनुसार प्रति आंगनवाड़ी/उप आंगनवाडी केन्द्र प्रति चूक (दिवस) के मान से
3.	**गुणवत्ता**	पूरक पोषण आहार निर्धारित गुणवत्ता मानक के अनुरूप/अमानक प्रदाय करने में हुई चूक पर, खराब/अमानक खाद्यान्न की मात्रा की आनुपातिक दर अनुसार प्रति आंगनवाडी केन्द्र प्रति चूक (दिवस) के मान से

8.3 कटौत्रे की व्यवस्था एडहॉक न हो इसलिए निम्न व्यवस्था अपनाई जाएगी :–

- यदि किसी समूह/संस्था द्वारा प्रदाय कार्य में निरंतर तीन माह तक देरी से प्रदाय, कम मात्रा अथवा उचित गुणवत्ता न होने के कारण उस समूह/संस्था को नोटिस देकर कार्य सुधार का अवसर दिया जाएगा, सुधार न होने पर कलेक्टर के अनुमोदन से समूह/संस्था बदलने की कार्यवाही की जाएगी।
- उक्त नोटिस के संबंध में चयनित समूह/संस्था अपना अभ्यावेदन जिला कार्यक्रम अधिकारी को 15 दिवस में देगा, जिसका निराकरण आगामी 15 दिवस में किया जाएगा।

8.4 जिला कार्यक्रम अधिकारी के निराकरण पर अपील जिला स्तर पर कलेक्टर के समकक्ष की जा सकेंगी। संचालनालय महिला बाल विकास द्वारा पोषण आहार की राशि हेतु जिलेवार बजट आवंटन जिला कार्यक्रम अधिकारी को त्रैमासिक/मासिक रूप से दिया जाएगा। प्रचलित व्यवस्था अनुसार राशि का कोषालय से आहरण, लेखा संधारण एवं अन्य प्रशासकीय दायित्वों का निर्वहन जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा ही किया जावेगा। भुगतान की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी :–

8.4.1 प्रत्येक मील प्रदाय करते समय प्रतिदिन चयनित समूह/संस्था पूरक पोषण आहार निर्धारित पत्रक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर लेगा। इसका विवरण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रतिदिन पंजी में भी दर्ज करेगी।

8.4.2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रतिदिन चयनित समूह/संस्था द्वारा प्रदाय किये गये नाश्ते एवं भोजन की, हितग्राही संख्या की जानकारी मासिक रूप से संकलित कर निर्धारित पत्रक में तैयार करेगी। उक्त पत्रक पर चयनित समूह/संस्था के अध्यक्ष अथवा सचिव के हस्ताक्षर अनिवार्यतः लेगी। चयनित समूह/संस्था के अध्यक्ष/सचिव द्वारा हस्ताक्षर नही किये जाने की स्थिति में आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा इस आशय का रिमार्क अंकित करेगी कि उनके द्वारा हस्ताक्षर करने से मना किया गया है।

8.4.3 यह पत्रक देयक के रूप में आंगनवाडी कार्यकर्ता द्वारा सेक्टर पर्यवेक्षक को प्रतिमाह उपलब्ध करायेगी। सेक्टर पर्यवेक्षक उसके परिक्षेत्र के सभी केन्द्रों की जानकारी का पत्रक एकत्रित कर परीक्षण उपरान्त, अनुशंसा सहित परियोजना कार्यालय में जमा करेगी। इस पत्रक के आधार पर कम्प्यूट्रीकृत देयक परियोजना अधिकारी द्वारा तैयार किया जाएगा। जिन शहरी क्षेत्रों में एकीकृत रसोई से आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जाएं, उन स्थानों पर देयक संबंधित समूह/संस्था अध्यक्ष/सचिव द्वारा तैयार किया जावेगा।

8.4.4 पूरक पोषण आहार वितरण में देरी, मात्रा एवं गुणवत्ता की कमी पाये जाने तथा गेहूँ/चावल की राशि के समायोजन एवं अन्य कारणों से चयनित समूह/संस्था को प्रस्तावित कटौत्रे करने के उपरांत परियोजना अधिकारी द्वारा राशि का भुगतान चयनित समूह/संस्था को करने हेतु अनुशंसा सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी को प्रेषित किया जावेगा।

8.4.5 जिला कार्यक्रम अधिकारी प्रचलित व्यवस्था अनुसार जिला कलेक्टर से सक्षम स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त देयक मय समूह/संस्था के बैंक खाते क्रमांक एवं राशि के विवरण सहित कोषालय में प्रस्तुत करेगें। कोषालय से राशि चयनित समूह/संस्था के खाते में सीधे जमा की जावेगी।

8.4.6 जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास प्रचलित व्यवस्था अनुसार राशि का कोषालय से आहरण, लेखा संधारण एवं अन्य प्रशासकीय दायित्वों का निर्वहन किया जावेगा। भुगतान की प्रक्रिया निम्नानुसार होगीः–

क्र.	कार्यवाही	समय सीमा	दायित्व	रिमार्क
1	2	3	4	5
1	**चयनित समूह/संस्था**	प्रत्येक मील के उपरान्त्	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता	प्रत्येक मील प्रदाय करते समय प्रतिदिन चयनित समूह/संस्था पूरक पोषण आहार निर्धारित पत्रक में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के हस्ताक्षर लेगी। इसका विवरण आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रतिदिन पंजी में भी दर्ज किया जायेगा।
2	**आंगनवाड़ी कार्यकर्ता**	प्रत्येक माह की 03 तारीख तक	सेक्टर पर्यवेक्षक	आंगनवाडी कार्यकर्ता प्रतिदिन चयनित समूह/संस्था द्वारा प्रदाय नाश्ता/भोजन की संकलित जानकारी निर्धारित पत्रक में तैयार करेंगी तथा पत्रक पर प्रतिमाह चयनित समूह/संस्था के अनिवार्यतः हस्ताक्षर करायेगी, इस पत्रक को प्रतिमाह सेक्टर पर्यवेक्षक को उपलब्ध करायेगी।
3	**सेक्टर पर्यवेक्षक**	प्रत्येक माह की 05 तारीख तक	परियोजना अधिकारी	सेक्टर पर्यवेक्षक परिक्षेत्र के समस्त केन्द्रों की जानकारी एकत्रित कर परीक्षण उपरान्त अनुशंसा सहित पत्रक परियोजना अधिकारी को प्रतिमाह उपलब्ध करायेगी।

4	**परियोजना अधिकारी**	प्रत्येक माह की 08 तारीख	जिला कार्यक्रम अधिकारी	माह की 05 से 08 तारीख तक परियोजना अधिकारी द्वारा कम्प्यूटरजनित पत्रक तथा देयक तैयार किया जाएगा। उक्त कम्प्यूटरजनित देयक परियोजना अधिकारी माह की 08 तारीख तक जिला कार्यक्रम अधिकारी को भुगतान के लिए प्रस्तुत करेंगे। जिन शहरी क्षेत्रों में एकीकृत रसोई से आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार का प्रदाय किया जाएं, उन स्थानों पर देयक संबंधित समूह/संस्था अध्यक्ष/ सचिव द्वारा परियोजना अधिकारी को प्रस्तुत किये जावेंगे, इन देयकों के परीक्षण/अनुशंसा उपरांत परियोजना अधिकारी माह की 08 तारीख तक जिला कार्यक्रम अधिकारी को भुगतान के लिए प्रस्तुत करेंगे।
5	**जिला कार्यकम अधिकारी**	प्रत्येक माह की 15 तारीख	चयनित समूह/संस्था	जिला कार्यक्रम अधिकारी परियोजनावार देयक, भुगतान की स्वीकृति हेतु कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे। कलेक्टर से स्वीकृति होने के उपरांत कोषालय में देयक प्रस्तुत किए जाऐंगे। प्रत्येक माह की 15 तारीख तक चयनित समूह/संस्था के खाते में राशि सीधे बैंक के माध्यम से हस्तांतरित की जा सकेगी।
6	**संभागीय संयुक्त संचालक**	प्रतिमाह		संभागीय संयुक्त संचालक संभाग के अंतर्गत किस–किस परियोजना में कितने आंगनवाड़ी केन्द्रों के चयनित समूह/संस्था के देयकों का भुगतान हो गया है, कितने देयको का भुगतान शेष है की समीक्षा करेंगे। लंबित रहने वाले देयको की समीक्षा कर भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार शीघ्र पूर्ण करावेंगे।

8.4.7 जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिला स्तर पर चयनित समूह/संस्था द्वारा प्रदाय किए जा रहे पूरक पोषण आहार वितरण व्यवस्था एवं देयकों के भुगतान की नियमित रूप से प्रतिमाह समीक्षा की जावेगी।

8.4.8 जिला स्तर पर यह सुनिश्चित किया जावे कि चयनित समूह/संस्था द्वारा आंगनवाडी केन्द्रों में सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन गुणवत्तायुक्त निर्धारित मात्रा एवं समय पर अनिवार्य रूप से प्रदाय किया जावे।

8.4.9 जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा पूरक पोषण आहार के देयक मासिक रूप से भुगतान की स्वीकृति हेतु जिला कलेक्टर को प्रस्तुत किए जावें।

8.4.10 जिला कार्यक्रम अधिकारी/परियोजना अधिकारी द्वारा चयनित समूह/संस्था को वास्तविक रूप से जितने हितग्राहियों हेतु आंगनवाडी केन्द्र में पोषण आहार (नाश्ता/भोजन/थर्डमील) के प्रदाय का आदेश दिया गया है, उसी मान से स्व सहायता समूहों/संस्थाओं के देयकों का भुगतान किया जावें। किसी समूह/संस्था को आदेशित मात्रा से अधिक भुगतान पायें जाने पर जिला कार्यक्रम अधिकारी को सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जावेगा।

8.4.11 जिला स्तर पर समूह/संस्था के देयकों के भुगतान के संबंध में ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाये कि किसी भी स्थिति में भुगतान प्रत्येक पोषण आहार प्रदायित माह के आगामी माह तक हो जाये। एक माह से अधिक के विलम्ब की स्थिति में परियोजना अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी का उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुये दोषी के विरूद्व कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।

8.4.12 प्रत्येक सोमवार को मैदानी अमले द्वारा यथा पर्यवेक्षक से संयुक्त संचालक स्तर तक के किए गए निरीक्षण की जानकारी कम्प्यूटर में भरी जावे, जिसमें पूरक पोषण आहार गतिविधि का भी विवरण रहेंगा। यह जानकारी भी बिल बनाते समय उपयोग में ली जाएगी। यहां यह ध्यान रहें कि निरीक्षणकर्ता अधिकारी वही टिप्पणी अंकित करें जो उनके द्वारा पूरक पोषण आहार पत्रक में दर्ज की गई है।

9. निगरानी एवं नियंत्रणः–

9.1 आंगनवाड़ी स्तर पर पूरक पोषण आहार व्यवस्था के क्रियान्वयन हेतु सभी छः दिवस का मेनू एवं मात्रा तथा चयनित संस्था के नाम को आंगनवाड़ी की एक दीवार पर प्रदर्शित किया जाएगा। यह जानकारी कम–से–कम 5 x 4 sqft के खाके के अन्दर लिखी जाएगी, जिससे दूर तक देखा जा सके।

9.2 आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रतिदिन पूरक पोषण आहार चखने के उपरांत ही भोजन वितरित करेंगी ।

9.3 पोषण मिशन की निगरानी हेतु अनुविभागीय अधिकारी राजस्व की अध्यक्षता में समिति गठित है। इस समिति में समय–समय पर पूरक पोषण आहार व्यवस्था की समीक्षा की जावें। समिति की बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी संबंधित बाल विकास परियोजना अधिकारी की होगी ।

9.4 जिला स्तर पर कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा पूरक पोषण आहार व्यवस्था के अंतर्गत प्रदाय किये जाने वाले भोजन की गुणवत्ता एवं नियमितता के बारे में समय–समय पर समीक्षा की जाएं। समिति की बैठक आयोजित करने की जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास की होगी ।

9.5 कलेक्टर/महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारी अथवा कलेक्टर के निर्देशानुसार खाद्य विभाग द्वारा नाश्ते एवं भोजन की रेसिपीज़ तैयार करने में उपयोग की जाने वाली खाद्य सामग्री के नमूने आवश्यकतानुसार गुणवत्ता परीक्षण हेतु लिए जा सकेंगे, जिनका परीक्षण भारत सरकार के खाद्य एवं पोषण आहार बोर्ड, नई दिल्ली की प्रयोगशाला से करवाया जा सकेगा ।

9.6 चयनित समूह/संस्था द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्र पर उच्च गुणवत्तायुक्त सुबह का नाश्ता एवं दोपहर का भोजन निर्धारित समय पर अनिवार्यतः प्रदाय किया जावे। आंगनवाड़ी केन्द्र में हितग्राहियों को उच्च गुणवत्ता का पोषण आहार प्रतिदिन मिले इस हेतु आंगनवाड़ी केन्द्र में हितग्राहियों की प्रतिदिन की उपस्थिति एवं नाश्ता/भोजन वितरण की निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जावे।

9.7 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर चयनित समूह/संस्था द्वारा प्रदाय नाश्ता एवं भोजन का प्रतिदिन पंचनामा तैयार किया जावे। पंचनामा पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, चयनित संस्था के प्रतिनिधि, रसोईया, वार्ड पार्षद अथवा प्रतिनिधि,पालक (माता/पिता) तथा स्कूल परिसर में आंगनवाड़ी होने पर यथासंभव प्रधानाध्यापक द्वारा नामांकित प्रतिनिधि के हस्ताक्षर कराएं।

9.8 जिला/परियोजना स्तर पर प्रतिमाह आंगनवाड़ी केन्द्रों में चयनित समूह/संस्था द्वारा प्रदाय किये जा रहे पूरक पोषण आहार व्यवस्था की निरन्तर समीक्षा की जावे। आंगनवाड़ी केन्द्र पर नाश्ता/भोजन गुणवत्तायुक्त निर्धारित समय पर एवं मात्रा अनुसार प्रदाय किया जाना सुनिश्चित करें। मान. सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार किसी भी स्थिति में आंगनवाड़ी केन्द्रों में पूरक पोषण आहार बाधित नहीं रहना चाहिए।

9.9 राज्य शासन के निर्देशानुसार आंगनवाड़ी केन्द्रों में प्रतिदिन नाश्ता एवं भोजन की गुणवत्ता की जांच आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ–साथ, बच्चों की माताओं तथा अन्य पालकों के द्वारा किये जाने का प्रावधान है, वे आहार चखकर उसकी गुणवत्ता देखेंगे तथा चखने के उपरान्त ही नाश्ता/भोजन का वितरण किया जावेगा।

9.10 आंगनवाड़ी केन्द्र के समीप यदि कोई एकल बुजुर्ग गरीब महिला/पुरुष उपलब्ध हो तो उक्त व्यक्ति को भी आंगनवाड़ी केन्द्र में भोजन की गुणवत्ता नियमित रूप से सुनिश्चित करने हेतु रखा जावे तथा उन्हें पूर्ण आहार उपलब्ध कराया जावे, यदि एक से अधिक ऐसे व्यक्ति हों तो रोस्टर प्रणाली के माध्यम से अलग–अलग दिन निर्धारित किए जा सकते हैं। पोषण आहार व्यवस्था में सुधार के लिये उपरोक्तानुसार निर्देशों का पालन सुनिश्चित करें।

9.11 पूरक पोषण आहार व्यवस्था के प्रभावी क्रियान्वयन, पर्यवेक्षण एवं निगरानी के लिए सूचना प्रोद्यौगिकी के माध्यम से एक पारदर्शी, सरल समाधान संचालनालय द्वारा यथाशीघ्र विकसित किया जाकर कार्यक्रम की मॉनिटरिंग की जावे।

10. अन्य व्यवस्थाः–

10.1 जहां पूर्व से चयनित समूह/संस्था अच्छा कार्य कर रही हैं, वहाँ उन्हीं के माध्यम से पोषण आहार उपलब्ध कराया जाता रहेगा, जहां इन चयनित संस्थाओं के संबंध में अनियमितताएं इत्यादि संबंधी शिकायतें हैं, केवल उन्हीं स्थानों पर संबंधित का पक्ष सुनकर तदानुसार निर्णय कलेक्टर द्वारा लिया जा सकेगा।

10.2 प्रदेश में आंगनवाडी केन्द्रों पर अतिकम वजन के बच्चों के परिवारों को अटल बाल आरोग्य एवं पोषण मिशन के अंतर्गत सोयाबडी का प्रदाय किया जा रहा है। अतः आंगनवाडी केन्द्रों पर स्थानीय संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुये सोयाबडी के उपयोग से तैयार होने वाली विभिन्न रैसिपीज के संबंध में जागरूकता हेतु प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन सुनिश्चित किया जायें।

11. कठिनाईयों का निराकरण :–

11.1 माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार आंगनवाडी केन्द्रों में पूरक पोषण आहर की निरंतरता रखी जावे। किसी भी स्थिति में पोषण आहार बाधित नही रहना चाहिए यह जिम्मेदारी जिला कार्यक्रम अधिकारी की रहेगी।

11.2 पूरक पोषण आहार वितरण में यदि कोई कठिनाई आती है तो जिला स्तर पर कठिनाईयों के निराकरण हेतु जिला कलेक्टर का निर्णय अंतिम होगा।

(पी.के.ठाकुर)
उप सचिव
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास,मध्यप्रदेश

2104
पृ.क्र./2830/2018/50–2(ए.एन.)/..... भोपाल, दिनांक 12/09/ 2018

प्रतिलिपिः–

1. आयुक्त, महिला एवं बाल विकास, भोपाल ।
2. आयुक्त, खाद्य विभाग, भोपाल।
3. प्रबंधक संचालक, म.प्र.स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन, पर्यावास भवन, भोपाल ।
4. अनुभाग अधिकारी, म.प्र. शासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, भोपाल (गार्ड फाईल)।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

उप सचिव 12.9.18
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास,मध्यप्रदेश

पूरक पोषण आहार का मेनू (आंगनवाडी/उप आंगनवाडी केन्द्रों हेतु)

1. शहरी पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत 03 वर्ष से 06 वर्ष तक के बच्चों, को प्रदाय किए जा रहे पूरक पोषण आहार में विविधता के लिए साप्ताहिक सांकेतिक मेनू

दिन	सुबह का नाश्ता	दोपहर का भोजन	प्रोटीन (ग्राम)	कैलोरी
	रैसिपी	रैसिपी		
सोमवार	मीठी लाप्सी	रोटी–सब्जी–दाल	12–15	500
मंगलवार	पोष्टिक खिचडी	खीर–पूडी,–आलू मटर/आलू चने की सब्जी		
बुधवार	मीठी लाप्सी	रोटी–सब्जी–दाल		
गुरूवार	नमकीन दलिया	वेज पुलाव–पकोड़े वाली कढ़ी		
शुक्रवार	उपमा	रोटी–सब्जी–दाल		
शनिवार	मीठी लाप्सी	चावल–सांभर		

2. शहरी पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत 06 माह से 03 वर्ष तक के बच्चों हेतु प्रति मंगलवार पूरक पोषण आहार का सांकेतिक मेनू

दिन	सुबह का नाश्ता	दोपहर का भोजन	प्रोटीन (ग्राम)	कैलोरी
	रैसिपी	रैसिपी		
मंगलवार (माह के दो मंगलवार हेतु)	पौष्टिक खिचडी	खीर–पूडी,आलू मटर/आलू चने की सब्जी	12–15	500

नोट :–माह के शेष मंगलवार को हलीमा अथवा साप्ताहिक रेसिपीज़ में से कोई अन्य रेसिपी भोजन के रूप में कलेक्टर के अनुमोदन से दी जा सकेगी ।

3. शहरी पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत गर्भवती/धात्री माताओं हेतु प्रति मंगलवार पूरक पोषण आहार का सांकेतिक मेनू

दिन	दोपहर का भोजन	प्रोटीन (ग्राम)	कैलोरी
	रैसिपी		
मंगलवार	खीर–पूडी,–आलू मटर/आलू चने की सब्जी	18–20	600

सहायक अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

शहरी पोषण आहार व्यवस्था अंतर्गत पूरक पोषण आहार के सांकेतिक मेनू का विस्तृत विवरण प्रति दिवस नाश्ता एवम् भोजन में अवयव एवं अनुमानित मात्रा

प्रथम दिवस–सोमवार

(अ) **03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु नाश्ता–**

मीठी लाप्सी (तैयार सामग्री–लगभग 100 ग्राम)

क्रमांक	कच्ची खाद्य सामग्री विवरण	कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा
1	गेहूं दलिया (गेहूं 32+3.2 प्रोसेस लॉस सहित=35.2ग्राम)	32 ग्राम
2	सोया	05 ग्राम
3	मूंगफली	05 ग्राम
4	गुड़	15 ग्राम
5	खाद्य तेल एगमार्क	08 ग्राम
	कुल योग–	**65 ग्राम**

(ब) **03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु भोजन–**

रोटी–मिक्स दाल, हरी सब्जी

(तैयार सामग्री –02 रोटी, 40 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी)

क्रमांक	कच्ची खाद्य सामग्री विवरण	कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा
1	गेहूं आटा (गेहूं 50+5 प्रोसेस लॉस सहित = 55 ग्राम)	50 ग्राम
2	चना / तुवर दाल / मूँग दाल	20 ग्राम
3	खाद्य तेल एगमार्क	05 ग्राम
4	सब्जी	40 ग्राम
5	मसाला एगमार्क एव नमक आयोडाईज्ड	05 ग्राम
	कुल योग–	**120 ग्राम**

सहायक अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

द्वितीय दिवस–मंगलवार

(अ) **03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु नाश्ता–**
पौष्टिक खिचड़ी (तैयार सामग्री –लगभग 100 ग्राम)

क्रमांक	कच्ची खाद्य सामग्री विवरण	कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा
1	चावल (चावल 38+3.04 प्रोसेस लॉस सहित=41.04 ग्राम)	38 ग्राम
2	मूंगदाल छिलका	07 ग्राम
3	सोया (मिनी चंग्स/बारीक बड़ी)	01 ग्राम
4	मूगफली	07 ग्राम
5	खाद्य तेल एगमार्क	05 ग्राम
6	मसाला एगमार्क एव नमक आयोडाईज्ड	02 ग्राम
	कुल योग–	**60 ग्राम**

(ब) **03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु भोजन–**
खीर पूडी, आलू मटर/आलु चने की सब्जी
(तैयार सामग्री –02 पुडी, 40 ग्राम सब्जी, 40 ग्राम खीर)

क्रमांक	कच्ची खाद्य सामग्री विवरण	कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा
1	आटा (गेहूं 50 + 5 प्रोसेस लॉस सहित = 55 ग्राम)	50 ग्राम
2	चावल (चावल 10+0.8 प्रोसेस लॉस सहित = 10.8ग्राम)	10 ग्राम
3	आलू मटर/आलू चना	30 ग्राम
4	दूध	25 ग्राम
5	शक्कर	15 ग्राम
6	खाद्य तेल एगमार्क	20 ग्राम
7	मसाला एगमार्क एव नमक आयोडाईज्ड	05 ग्राम
	कुल योग–	**155 ग्राम**

सहायक अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

तृतीय दिवस–बुधवार

(अ) **03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु नाश्ता–**

मीठी लाप्सी (तैयार सामग्री –लगभग 100 ग्राम)

क्रमांक	कच्ची खाद्य सामग्री विवरण	कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा
1	गेहूं दलिया (गेहूं 32+3.2 प्रोसेस लॉस सहित= 35.2 ग्राम)	32 ग्राम
2	सोया	05 ग्राम
3	मूंगफली	05 ग्राम
4	गुड़	15 ग्राम
5	खाद्य तेल एगमार्क	08 ग्राम
	कुल योग–	**65 ग्राम**

(ब) **03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु भोजन–**

रोटी–मिक्स दाल, हरी सब्जी

(तैयार सामग्री –02 रोटी, 40 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी)

क्रमांक	कच्ची खाद्य सामग्री विवरण	कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा
1	गेहूं आटा (गेहूं 50+5 प्रोसेस लॉस सहित=55ग्राम)	50 ग्राम
2	चना/तुवर दाल/मूँग दाल	20 ग्राम
3	खाद्य तेल एगमार्क	05 ग्राम
4	सब्जी	40 ग्राम
5	मसाला एगमार्क एव नमक आयोडाईज्ड	05 ग्राम
	कुल योग–	**120 ग्राम**

चतुर्थ दिवस–गुरूवार

(अ) **03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु नाश्ता–**

नमकीन दलिया (तैयार सामग्री–लगभग 100 ग्राम)

क्रमांक	कच्ची खाद्य सामग्री विवरण	कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा
1	गेहूं दलिया (गेहूं 33+3.33 प्रोसेस लॉस सहित= 36.33 ग्राम)	33 ग्राम
2	सोया	03 ग्राम
3	मूगदाल छिलका	05 ग्राम
4	खाद्य तेल एगमार्क	07 ग्राम
5	मूंगफली	02 ग्राम
6	सब्जी	10 ग्राम
7	मसाला एगमार्क एव नमक आयोडाईज्ड	02 ग्राम
	कुल योग–	**62 ग्राम**

(ब) **03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु भोजन–**

वेज पुलाव–पकौड़े वाली कढ़ी (तैयार सामग्री– वेज पुलाव 120 ग्राम, कढ़ी 50 ग्राम)

क्रमांक	कच्ची खाद्य सामग्री विवरण	कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा
1	चावल (चावल 60+4.8 प्रोसेस लॉस सहित= 64.8ग्राम)	60 ग्राम
2	बेसन	10 ग्राम
3	सोया	08 ग्राम
4	खाद्य तेल एगमार्क	15 ग्राम
5	सब्जी (आलू नहीं)	05 ग्राम
6	दही	05 ग्राम
7	मसाला एगमार्क एव नमक आयोडाईज्ड	05 ग्राम
	कुल योग–	108 ग्राम

पाचवां दिवस–शुक्रवार

(अ) **03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु नाश्ता–**

उपमा – (तैयार सामग्री–लगभग 80 ग्राम)

क्रमांक	कच्ची खाद्य सामग्री विवरण	कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा
1	सिका आटा (गेहूं 35+3.5 प्रोसेस लॉस सहित = 38.5 ग्राम)	35 ग्राम
2	चना दाल सिकी हुई	04 ग्राम
3	सोया	04 ग्राम
4	मूंगफली	05 ग्राम
5	खाद्य तेल एगमार्क	06 ग्राम
6	मसाला एगमार्क एवं नमक आयोडाईज्ड	03 ग्राम
	कुल योग–	**57 ग्राम**

(ब) **03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु भोजन–**

रोटी–मिक्स दाल, हरी सब्जी

(तैयार सामग्री –02 रोटी, 40 ग्राम दाल, 50 ग्राम सब्जी)

क्रमांक	कच्ची खाद्य सामग्री विवरण	कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा
1	गेहूं आटा (गेहूं 50+5 प्रोसेस लॉस सहित = 55 ग्राम)	50 ग्राम
2	चना/तुवर दाल/मूँग दाल	20 ग्राम
3	खाद्य तेल एगमार्क	05 ग्राम
4	सब्जी	40 ग्राम
5	मसाला एगमार्क एव नमक आयोडाईज्ड	05 ग्राम
	कुल योग–	**120 ग्राम**

छटवां दिवस–शनिवार

(अ) **03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु नाश्ता–**

मीठी लाप्सी (तैयार सामग्री–लगभग 100 ग्राम)

क्रमांक	कच्ची खाद्य सामग्री विवरण	कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा
1	गेहूं दलिया (गेहूं 32+3.2 प्रोसेस लॉस सहित=35.2 ग्राम)	32 ग्राम
2	सोया	05 ग्राम
3	मूंगफली	05 ग्राम
4	गुड़	15 ग्राम
5	खाद्य तेल एगमार्क	08 ग्राम
	कुल योग–	**65 ग्राम**

(ब) **03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु भोजन–**

चावल सांभर (तैयार सामग्री –लगभग 100 ग्राम चावल व 60–75 ग्राम सांभर)

क्रमांक	कच्ची खाद्य सामग्री विवरण	कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा
1	चावल (चावल 47+3.76 प्रोसेस लास = 50.76 ग्राम)	47 ग्राम
2	तुवर दाल	15 ग्राम
3	सब्जी–लोकी, गिलकी, सूरजना फली आदि हरी सब्जी	20 ग्राम
4	सोया	05 ग्राम
5	मसाला एगमार्क एव नमक आयोडाईज्ड	03 ग्राम
6	खाद्य तेल एगमार्क	10 ग्राम
	कुल योग–	**100 ग्राम**

सहायक अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

नाश्ते के अन्य विकल्प :–

विकल्प–01

सत्तू – (तैयार सामग्री –लगभग 50 ग्राम)

क्रमांक	कच्ची खाद्य सामग्री विवरण	कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा
1	गेहूँ आटा रोस्टेड (गेहूं 12+1.2 प्रोसेस लास=13.2 ग्राम)	12 ग्राम
2	जौ	2.5 ग्राम
3	मुंगफली	06 ग्राम
4	सोया	04 ग्राम
5	चना दाल पुटीना	7.5 ग्राम
6	चावल (चावल 5+0.4 प्रोसेस लास = 5.4 ग्राम)	05 ग्राम
7	शक्कर	11.5 ग्राम
8	खाद्य तेल एगमार्क	1.5 ग्राम
	कुल योग –	**50 ग्राम**

- गेहूँ एवं चावल बी पी एल दर पर शासन द्वारा प्रदाय किया जावेगा।
- नाश्ते में कम से कम 06 ग्राम प्रोटीन एवं 200 कैलोरी प्रदाय की जावे।

विकल्प–02

मक्का+गेहूं +सोया (CWS) पौष्टिक नमकीन मिक्सचर – (तैयार सामग्री–लगभग 50 ग्राम)

क्रमांक	कच्ची खाद्य सामग्री विवरण	कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा
1	गेहूँ आटा (गेहूं 24+2.4 प्रोसेस लास = 26.4 ग्राम)	24 ग्राम
2	सोया	07 ग्राम
3	मक्का	2.5 ग्राम
4	खाद्य तेल एगमार्क	7.5 ग्राम
5	चावल (01+0.08 प्रोसेस लास = 1.08 ग्राम)	01 ग्राम
6	मुंगफली	06 ग्राम
7	मसाला	02 ग्राम
	कुल योग–	**50 ग्राम**

- गेहूं एवं चावल बी पी एल दर पर शासन द्वारा प्रदाय किया जावेगा।
- नाश्ते में कम से कम 06 ग्राम प्रोटीन एवं 200 कैलोरी प्रदाय की जावे।

सहायक अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

विकल्प–03

मक्का +गेहूं +सोया (CWS) पौष्टिक मीठा मिक्सचर–(तैयार सामग्री –लगभग 50 ग्राम)

क्रमांक	कच्ची खाद्य सामग्री विवरण	कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा
1	गेहूँ आटा (गेहूं 20+2 प्रोसेस लास = 22 ग्राम)	20 ग्राम
2	सोया	5.5 ग्राम
3	मक्का	02 ग्राम
4	खाद्य तेल एगमार्क	06 ग्राम
5	चावल (2.5 + 0.2 प्रोसेस लास = 2.7 ग्राम)	2.5 ग्राम
6	शक्कर	09 ग्राम
7	मिल्क पावडर	1.5 ग्राम
8	मूंगफली	3.5 ग्राम
	कुल योग –	**50 ग्राम**

- गेहूं एवं चावल बी पी एल दर पर शासन द्वारा प्रदाय किया जावेगा।
- नाश्ते में कम से कम 06 ग्राम प्रोटीन एवं 200 कैलोरी प्रदाय की जावे।

विकल्प–04

पोष्टिक आटा बेसन लड्डू चूरा – (तैयार सामग्री –लगभग 50 ग्राम)

क्रमांक	कच्ची खाद्य सामग्री विवरण	कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा
1	गेहूँ आटा रोस्टेड (गेहूँ 25.5+2.55 प्रोसेस लॉस सहित=27.55 ग्राम)	25.5 ग्राम
2	बेसन	05 ग्राम
3	सोया	02 ग्राम
4	खाद्य तेल एगमार्क	05 ग्राम
5	शक्कर	10 ग्राम
6	मिल्क पाउडर	2.5 ग्राम
	कुल योग –	**50 ग्राम**

- गेहूं एवं चावल बी पी एल दर पर शासन द्वारा प्रदाय किया जावेगा।
- नाश्ते में कम से कम 06 ग्राम प्रोटीन एवं 200 कैलोरी प्रदाय की जावे।

सहायक अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

विकल्प–05

गेहूं मूंगफली चना चक्की चूरा – (तैयार सामग्री–लगभग 50 ग्राम)

क्रमांक	कच्ची खाद्य सामग्री विवरण	कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा
1	गेहूं आटा रोस्टेड (गेहूं 24.5+2.45 प्रोसेस लास = 26.95)	24.5 ग्राम
2	सोया	2.5 ग्राम
3	चना दाल पुटीना	2.5 ग्राम
4	मिल्क पावडर	1.5 ग्राम
5	खाद्य तेल एगमार्क	05 ग्राम
6	शक्कर	09 ग्राम
7	मूंगफली	05 ग्राम
	कुल योग –	**50 ग्राम**

- गेहूँ एवं चावल बी पी एल दर पर शासन द्वारा प्रदाय किया जावेगा।
- नाश्ते में कम से कम 06 ग्राम प्रोटीन एवं 200 कैलोरी प्रदाय की जावे।

भोजन के अन्य विकल्प :–

विकल्प–01

हलीमा/खिचड़ा (तरह–तरह की दालों/अनाज/सोयाबड़ी युक्त)–
(तैयार सामग्री लगभग 150 ग्राम)

क्रमांक	कच्ची खाद्य सामग्री विवरण	कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा
1	गेहूं दलिया (गेहू 30+3 प्रोसेस लास = 33 ग्राम)	30 ग्राम
2	चावल (चावल 17+1.36 प्रोसेस लास = 18.36 ग्राम)	17 ग्राम
3	ज्वार	05 ग्राम
4	मक्का	02 ग्राम
5	मूंग दाल छिलका	05 ग्राम
6	तुवर दाल	05 ग्राम
7	चनादाल	05 ग्राम
8	मसूर दाल	05 ग्राम
9	उडद दाल सफेद	03 ग्राम
10	सोयाबडी	05 ग्राम
11	खाद्य तेल एगमार्क	05 ग्राम
12	मसाला एगमार्क एव नमक आयोडाईज्ड	05 ग्राम
	कुल योग–	**92 ग्राम**

सहायक अनुभाग अधिकारी

- 03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु नाश्ता एवं भोजन मिलाकर न्युनतम 12 से 15 प्रोटीन एवं 500 कैलोरी प्रदाय की जावे।
- गेहूँ एवं चावल बीपीएल दर पर शासन द्वारा प्रदाय किया जावे।

विकल्प–02

इडली सांभर – (तैयार सामग्री– लगभग 90–100 ग्राम सांभर व 50 ग्राम इडली)

क्रमांक	कच्ची खाद्य सामग्री विवरण	कच्ची खाद्य सामग्री की औसत मात्रा
1	चावल (चावल 45+4.5 प्रोसेस लास = 49.5 ग्राम	45 ग्राम
2	सफेद उड़द दाल	09 ग्राम
3	तुवर दाल	08 ग्राम
4	सब्जी–लोकी, गिलकी, सूरजना फली आदि हरी सब्जी	15 ग्राम
5	सोया	05 ग्राम
6	दही	05 ग्राम
7	मसाला एगमार्क एव नमक आयोडाईज्ड	03 ग्राम
8	खाद्य तेल एगमार्क	10 ग्राम
	कुल योग–	**100 ग्राम**

- 03 से 06 वर्ष के बच्चों हेतु नाश्ता एवं भोजन मिलाकर न्यूनतम 12 से 15 प्रोटिन एवं 500 कैलोरी प्रदाय की जायेगी।
- गेहूं एवं चावल बीपीएल दर पर शासन द्वारा प्रदाय किया जावेगा।
- सभी निर्धारित मील मिलाकर 06 माह से 06 वर्ष के गंभीर कुपोषित (अतिकम वजन के) बच्चों को 20–25 ग्राम प्रोटीन तथा 800 कैलोरी प्रतिदिन प्रति हितग्राही प्रदाय किया जावे।

सहायक अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

आंगनबाड़ी केन्द्र के लिये पूरक पोषण आहार प्रदाय हेतु भोजन पत्रक

परिशिष्ट –03

जिले का नाम..... परियोजना का नाम..... सेक्टर का नाम.....

माह..... वर्ष ..... आंगनबाड़ी केन्द्र का नाम.....

स्व–सहायता समूह / संस्था का नाम.....

क्र.	मद		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	03–06 वर्ष के बच्चें के नाश्ता एवं दोपहर का पूरक पोषण आहार																																
1.1	सुबह का नाश्ता	समय																															
		मात्रा																															
		गुणवत्ता																															
		मील अप्राप्त																															
1.2	दोपहर का भोजन	समय																															
		मात्रा																															
		गुणवत्ता																															
		मील अप्राप्त																															
	अतिकम वजन के बच्चों को थर्ड मील हेतु																																
1.3	थर्ड मील के रूप में दोहराने हेतु	समय																															
		मात्रा																															
		गुणवत्ता																															
		मील अप्राप्त																															
2	मंगल दिवस को गर्भवती एवं धात्री महिलाओं एवं किशोरी बालिकाओं को भोजन हेतु																																
2.1	दोपहर का भोजन	समय																															
		मात्रा																															
		गुणवत्ता																															
		मील अप्राप्त																															
	मंगल दिवस को 06 माह से 03 वर्ष तक के शिशुओं हेतु																																
2.2	दोपहर भोजन जो मुलायम एवं सुपाच्य हो	समय																															
		मात्रा																															
		गुणवत्ता																															
		मील अप्राप्त																															

	त्रैमास में प्राप्त गेहूँ		गत माह तक उपयोग किया गया गेहूँ		इस माह में उपयोग गेहूँ		कुल गेहूँ शेष	
	त्रैमास में प्राप्त चावल		गत माह तक उपयोग किया गया चावल		इस माह में उपयोग चावल		कुल चावल शेष	

सहायक अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

हस्ताक्षर.....

नाम.....

अध्यक्ष / सचिव , स्व–सहायता समूह /